सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2023 / 140 दर्ज तिथिः—23.05.2023

1. मानाराम पुत्र भूराराम
2. रामाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी कूडा

पाटी संख्या 01

3. पीराराम पुत्र जगमालराम जाति जाट निवासी कूडा

पार्टी संख्या 02

4. आईदानराम पुत्र जगमालराम जाति जाट निवासी कूडा

पार्टी संख्या 03

5. कंवराराम पुत्र हेमाराम
6. भगवानाराम पुत्र हेमाराम
7. भंवरी देवी पत्नी भगवानाराम
8. पूनमाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी कूडा तहसील गुडामालानी

पार्टी संख्या 04

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 46, 47 / 2, 47 / 4, 47 / 7 मौजा कूडा तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 01 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 47 / 12, 47 / 13 व 47 / 3 मौजा कूडा तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 02 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 47 / 14, 47 / 15, मौजा कूडा तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 03 की खातेदारी आराजी है।
- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 47 व 47 / 1 मौजा कूडा तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 04 की खातेदारी आराजी है।
- प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर मौके पर काबिज काश्त हैं तथा मौके पर रहवासी ढाणियां, चारवाडे व टांके बने हुए हैं। उक्त सभी खसरा मूल खसरा संख्या 47 से बने हुए हैं परन्तु वर्तमान तरमीम व मौके पर भिन्नता है।
- खसरा संख्या 47 / 1 का रकबा मौके पर 9.3725 है0 है जबकि रिकॉर्ड रकबा 13.3708 है0 अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार खसरा संख्या 47 का रकबा मौके पर 24.1354 है0 है जबकि रिकॉर्ड रकबा 20.1371 है0 अंकित किया हुआ है।
- खसरा संख्या 47 / 2 का रकबा मौके पर 12.9013 है0 है जबकि रिकॉर्ड रकबा 15.2566 है0 अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार खसरा संख्या 47 / 4 का रकबा मौके पर 13.5652 है0 है जबकि रिकॉर्ड रकबा 12.1406 है0 अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार खसरा संख्या 47 / 7 का रकबा मौके पर 8.8625 है0 है जबकि रिकॉर्ड रकबा 7.9318 है0 अंकित किया हुआ है।
- इस प्रकार खसरा संख्या 47 / 2 का रकबा रिकॉर्ड में जितना कम होना अपेक्षित है। समानुपातिक रकबा खसरा संख्या 47 / 7 व 47 / 4 में बढना अपेक्षित है।

सत्यमेव जयते

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के विपरीत खसरा संख्या 47 / 2 का रकबा 12.9013 है0, खसरा संख्या 47 / 7 का रकबा 8.8625 है0, खसरा संख्या 47 / 4 का रकबा 13.5652 है0, खसरा संख्या 47 / 1 का रकबा 9.3725 है0, खसरा संख्या 47 का रकबा 24.1354 है0, दुरूस्त किया जाकर तरमीम दुरूस्त की जावे। साथ ही खसरा संख्या 47 / 12, खसरा संख्या 47 / 13, खसरा संख्या 47 / 3, खसरा संख्या 47 / 14, खसरा संख्या 47 / 15 की ऑनलाइन तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार की जावे। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

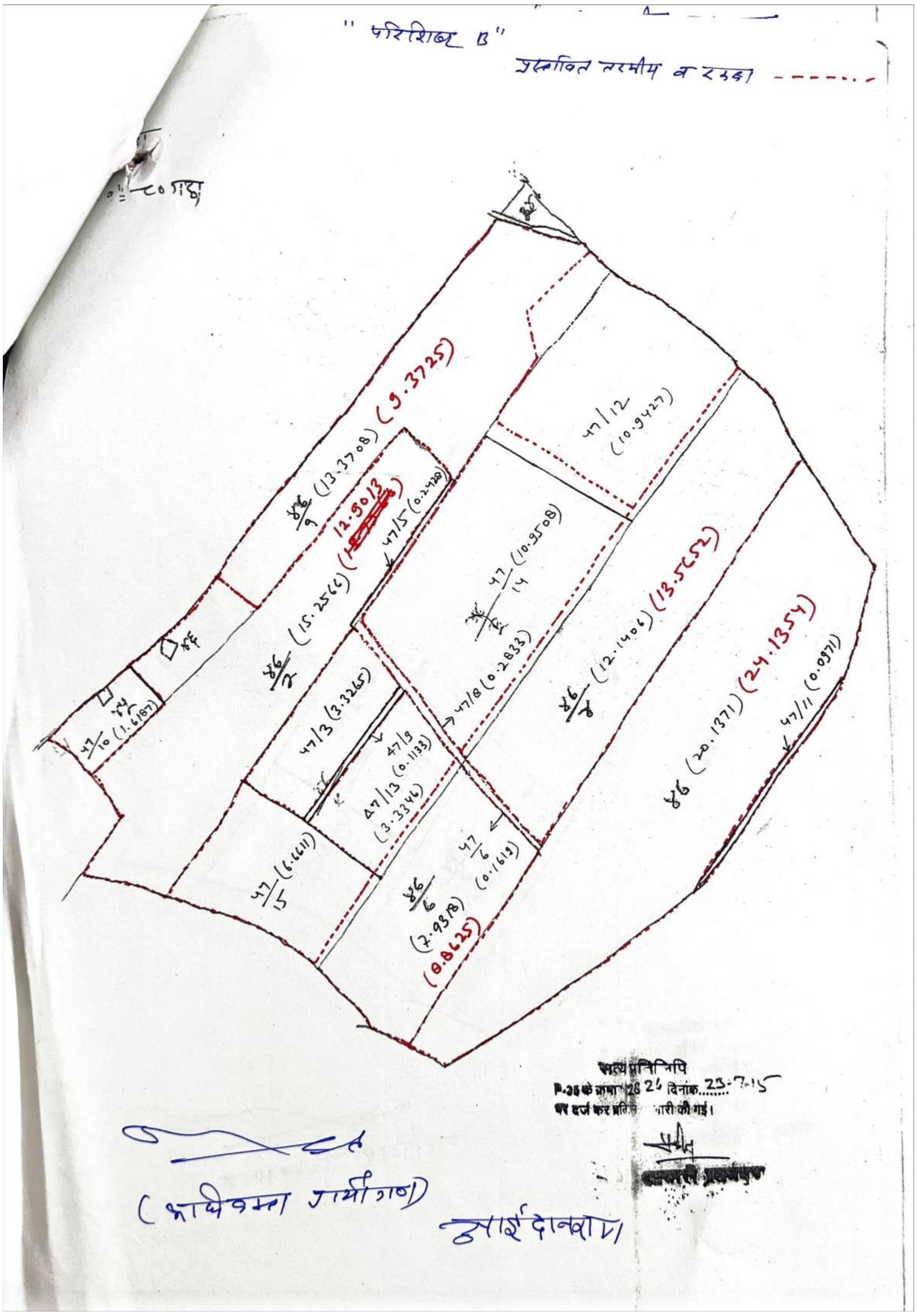

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 766 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 766 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

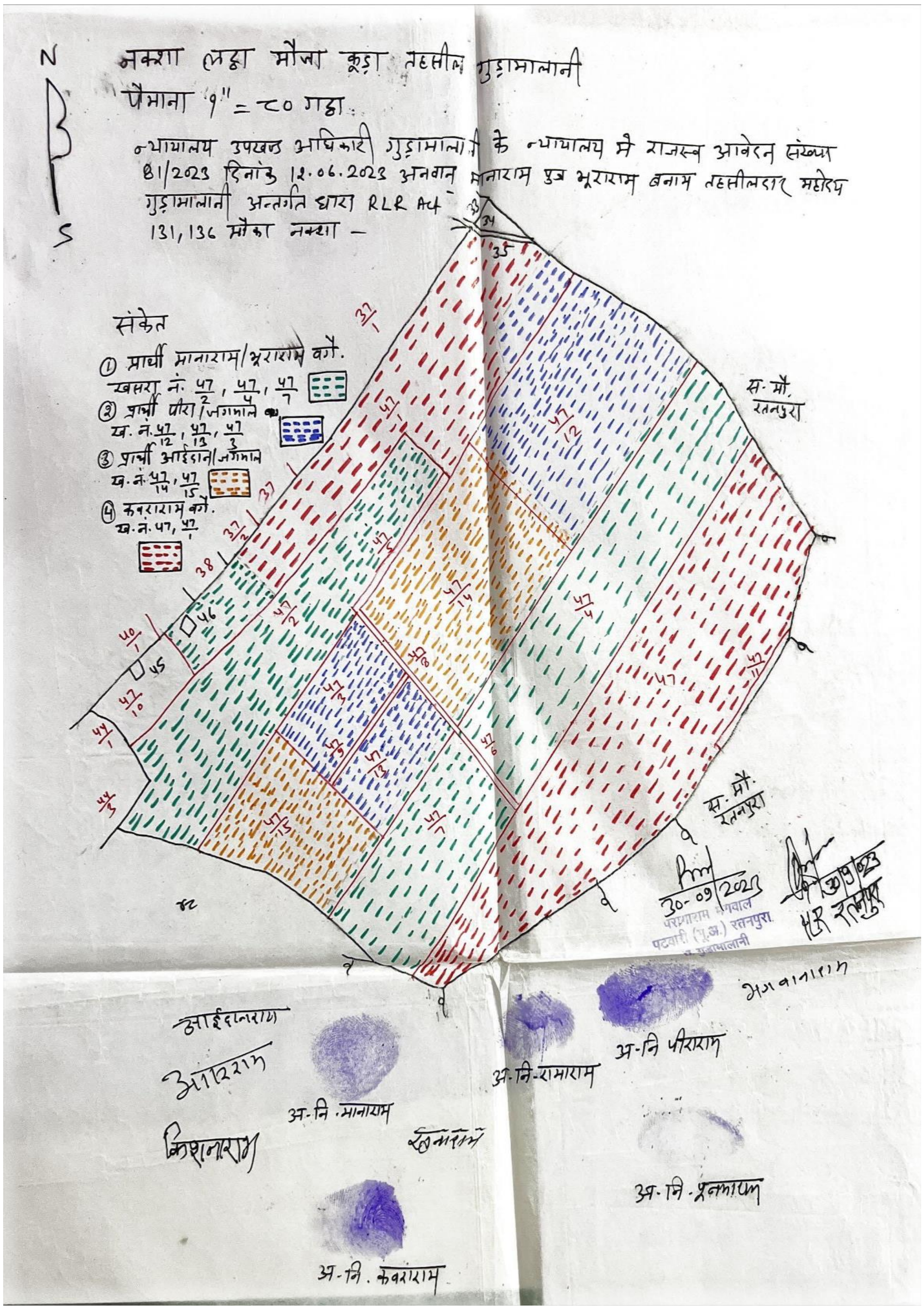

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/766 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> खसरा संख्या 47/2, 47/7, 47/4, 47/12, 47/13, 47/3, 47/14, 47/15, 47/1 व 47 की जमाबंदी में दर्ज रकबा नक्शा व वर्तमान में कब्जा काश्त में भिन्नता हैं। इसलिए पार्टी संख्या 01 की खातेदारी के खसरा संख्या 47/2 का रकबा 15.2566 है0 के स्थान पर 12.9013 है0, खसरा संख्या 47/7 का रकबा 7.9318 है0 के स्थान पर 8.8625 है0, खसरा संख्या 47/4 का रकबा 12.1406 है0, के स्थान पर 13.5652 है0, पार्टी संख्या 04 की खातेदारी के खसरा संख्या 47/1 का रकबा 13.3708 है0 के स्थान पर 9.3725 है0, खसरा संख्या 47 का रकबा 20.1371 है0 के स्थान पर 24.1354 है0, दुरूस्त कर इसी अनुरूप तरमीम दुरूस्त करने एवं पार्टी संख्या 02 की खातेदारी के खसरा संख्या 47/12, खसरा संख्या 47/13, खसरा संख्या 47/3, पार्टी संख्या 03 की खातेदारी के खसरा संख्या 47/14, खसरा संख्या 47/15 की ऑनलाइन नक्शे की तरमीम वर्तमान मौके पर कब्जे के अनुसार किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/766 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/766 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/766 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/766 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested